विवाह सहायता योजना

पात्रता- मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्री अथवा स्वयं महिला श्रमिक के विवाह हेतु प्रति प्रकरण रू. 15000/- दी जाती है। वर्तमान में यह योजना लोकसेवा गारंटी स्कीम 2010 में दिनांक 17-09-2021 से सेवा क्रमांक 2.33 के रूप में सम्मिलित है। उक्त योजना में लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज (छायाप्रतियां)

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- विवाहिता की आयु के सत्यापन हेतु अंकसूची अथवा वैध दस्तावेज
- विवाह पत्रिका
- वधू का आधार पत्र
- वधू का समग्र आईडी
- बैंक पास बुक, प्रथम पृष्ठ
- स्वसत्यापन प्रमाण पत्र

स्वीकृतकर्ता अधिकारी- मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी जो जनसंपर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक , कल्याण निरीक्षक इस योजना में पदाभिहित अधिकारी नियुक्त है।

वर्तमान सहायता राशि प्रतिवर्ष (एकमुश्त):- रूपये 15000/- प्रति विवाह